प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.08.2025

स्वाट टीम कमि0 गाजियाबाद व थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा मानसी ज्वैलर्स में लूट की घटना में वांछित 01 ईनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, घटना से संबंधित 6000/- रुपये व चोरी की 01 बिना नं0 प्लेट लगी मोटर साइकिल बरामद ।

पुलिस मुठभेड/ गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 24.07.2025 को थाना लिंकरोड क्षेत्रान्तर्गत वादी द्वारा मानसी ज्वैलर्स में लूट करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । दिनांक 31.07.2025 को उक्त घटना का अनावरण करते हुए घटना में वांछित 25,000/- रूपये का ईनामी अभियुक्त अभिषेक पुत्र लवकुश निवासी ग्राम बहेटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद लगातार वांछित चल रहा था । जिसके क्रम में दिनांक 04 अगस्त 2025 की शाम को स्वाट टीम व थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु संयुक्त रूप से चौकी औद्योगिक क्षेत्र के पास चेकिंग की जा रही थी । चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट लगी मोटर साइकिल सवार आता दिखाई दिया। जब पुलिस टीम ने बाइक सवार को रोककर चैक करने का प्रयास किया तो वह भागने लगा। जब पुलिस टीम ने उसका पीछा कर पकड़ने का प्रयास किया तो बाइक सवार बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया जिसमें बदमाश के दोनों पैरो में गोली लग गई। घायल बदमाश ने अपना नाम अभिषेक पुत्र लवकुश निवासी ग्राम बहेटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, घटना से संबंधित 6000/- रुपये व चोरी की 01 बिना नं0 प्लेट लगी मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तारी अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मानसी ज्वैलर्स की घटना में अभियुक्त कपिल और मनीष को मेरे द्वारा ही चोरी की मोटर साइकिल स्पलेन्डर व SWIGGY , BLINKIT की ड्रैस उपलब्ध करायी गयी थी। अभियुक्त उपरोक्त के संबंध में जानकारी की गयी तो अभियुक्त पूर्व में दिल्ली में डकैती व लूट की घटनाओं में जेल जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अभिषेक पुत्र लवकुश निवासी ग्राम बहेटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, घटना से संबंधित 6000/- रुपये व चोरी की 01 बिना नं0 प्लेट लगी मोटर साइकिल बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर लूट के सम्बन्ध में 01 अभियोग तथा दिल्ली में लूट व डकैती के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

स्वाट टीम पुलिस कमि0 गाजियाबाद व थाना लिंकरोड पुलिस टीम ।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार,कब्जे से अवैध 02 किलो 638 ग्राम स्मैक व घटना में प्रयुक्त 01 एक टीवीएस मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 04.08.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों 1.विकास पुत्र बाबूलाल निवासी गांव डुगरावली थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष 2.मोहन पुत्र चोखेलाल निवासी पंचलोक कॉलोनी अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष को लोनी इंटर कॉलेज के पास चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 02 किलो 638 ग्राम अवैध स्मैक व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 08/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण से पूछताछ पर बरामद अवैध दो किलो 638 ग्राम स्मैक के सम्बन्ध में अपनी गलती की माफी मांगते हुए बताया साहब हम दोनों लोगों को एक अनजान व्यक्ति जगह बदल बदलकर कभी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर तो कभी बागपत की तरफ बैग देता है और एक निश्चित जगह बता देता है, जिसके पास नया बैग होगा उस व्यक्ति को माल देना है उसे बैग का रंग भी बता देता है ,वह व्यक्ति हमें 4 -5 हज़ार रुपये देता है , माल देकर रुपए लेकर हम वापिस आ जाते हैं हमको इस बात की जानकारी रहती है बैग मे स्मैक रहती हैं, पहले भी तीन चार बार इस कार्य को हम लोग कर चुके है, माल देने वाला व्यक्ति हमको बताता है इस बैग में काफी रूपयों का माल है सावधानी से ले जाना है , साहब अब गलती हो गई है फिर से ऐसा कार्य नहीं करेंगे, बाइक नंबर DL8CK8903 के बारे में पूछने पर बताया कि उक्त मोटरसाइकिल को मैं अपने मौसा से मांगकर लाया था काम करके इसको हम वापस दे देते । माल का व्यापार करने वाले लोगों के बारे में विवेचना प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.विकास पुत्र बाबूलाल निवासी गांव डुगरावली थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष ।

2.मोहन पुत्र चोखेलाल निवासी पंचलोक कॉलोनी अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगणो के विरुद्ध थाना लोनी पर उक्त घटना के सम्बन्ध में मु0अ0स0 375/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हैं अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से अवैध 02 किलो 638 ग्राम स्मैक व घटना में प्रयुक्त 01 एक टीवीएस मोटर साईकिल बरामद ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 26.07.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादी श्री लीलू पुत्र श्री गोकुल निवासी फतेहपुर देरी ए 12 झंडा कॉलोनी दक्षिण दिल्ली द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अपनी स्कूटी एक्टिवा के चोरी होने के सम्बन्ध में धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत ई-एफआईआर प्राप्त हुई। जिसके क्रम में दिनांक 04/05.08.2025 की रात्रि को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर कोयल एंकलेव में मेट्रो प्रोजेक्ट वाली बिल्डिंग के सामने तिकोना पार्क के पास से अभियुक्त 1. आकाश पुत्र महेन्द्र निवासी कृष्णा विहार चौक गली न0 01 थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 2. आकाश पुत्र भारत निवासी गली नं0 02 कृष्णा विहार थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को चोरी की 01 स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर धारा 303(2) बीएनएस व धारा 304(2) बीएनएस के 02 अभियोग पंजीकृत है, पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस व 304(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद स्कूटी को दोनों अभियुक्तों ने मिलकर लगभग 20 दिन पहले भौपुरा यू टर्न के पास से चोरी किया था। इसी क्रम में अभियुक्त आकाश पुत्र महेन्द्र ने लगभग 10 दिन पहले भौपुरा से लोनी की तरफ जा रहे ऑटो मैं बैठी एक लड़की से उसका मोबाइल फोन छीना था। जिसे दोनों अभियुक्तों ने राह चलते लोगों को बेच दिया। दोनों अभियुक्त वाहन चोरी कर वाहन से मोबाइल स्नेचिंग की घटना कारित करते है। दोनों अभियुक्त बरामद स्कूटी को बेचने की फिराक में थे कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. आकाश पुत्र महेन्द्र निवासी कृष्णा विहार चौक गली न0 01 थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
2. आकाश पुत्र भारत निवासी गली न0 02 कृष्णा विहार थाना लोनी बोर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त आकाश पुत्र महेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर स्नेचिंग व चोरी का 01-01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रहा है।

- गिरफ्तार अभियुक्त आकाश पुत्र भारत उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर स्नेचिंग व चोरी का 01-01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यातायात पुलिस का विशेष अभियान

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार, कमिश्नरेट गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय यातायात जोन में प्रमुखतः लाल कुआ, आनंद विहार एवं मुरादनगर में अतिक्रमण के विरुद्ध सम्बंधित सहायक पुलिस आयुक्त यातायात के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। जिसमे जोन के यातायात निरीक्षक एवं सम्बंधित चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।

अभियान के दौरान सार्वजनिक सड़कों, चौराहों एवं यातायात को बाधित करने वाले स्थानों पर अतिक्रमण के कारकों जैसे ठेले, खोमचे, अस्थायी दुकानों आदि को चिन्हित कर हटाया गया। उक्त स्थलों पर व्यापार करने वालों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि भविष्य में पुनः अतिक्रमण की स्थिति पाए जाने पर उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस सघन अभियान का उद्देश्य सड़क पर सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखना, दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना तथा आमजन को निर्बाध यातायात उपलब्ध कराना है।

यातायात पुलिस द्वारा यह अभियान आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेगा। आमजन से अपील की जाती है, कि सड़क पर अतिक्रमण करने से परहेज करें और यातायात पुलिस को सहयोग प्रदान करें, ताकि सुचारु एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

सुरक्षित रहें - सुरक्षित चलें

अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात
कमिश्नरेट-गाजियाबाद।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 25.07.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी संजू द्विवेदी द्वारा तहरीर दी गई और बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी पत्नि का पर्स जिसमें मोबाइल फोन व कार्ड रखे थे, चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज

दिनांक 05.08.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त आकाश पुत्र जगदीश निवासी न्यायखंड 1 थाना इन्दिरापुरम मूल निवासी सुरईखेत थाना सुरईखेत जिला अल्मोडा उत्तराखंड उम्र करीब 22 वर्ष को इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत गुर्जर चौक के पास खाली पडे मैदान से चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त ने बरामद मोबाइल को लगभग 10 दिन पहले महावीर चौक के पास से एक महिला का पर्स चोरी किया था। अभियुक्त उपरोक्त बरामद मोबाइल फोन को बेचने की फिराक में था कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आकाश पुत्र जगदीश निवासी न्यायखंड 1 थाना इन्दिरापुरम मूल निवासी सुरईखेत थाना सुरईखेत जिला अल्मोडा उत्तराखंड उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग व थाना कौशाम्बी पर चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही से घटना में प्रयुक्त 01 छुरी बरामद।

दिनांक 04.08.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. सलमान पुत्र अब्दुल 2. जावेद पुत्र जमात अली द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करना व वादी के दोस्त अरमान के पेट में जान से मारने की नीयत से छुरी मार देना जिससे वादी का मित्र गम्भीर रुप से घायल हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 109(1)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 05.08.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1. सलमान पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी गिरी मार्केट मन्सा मंदिर के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष 2. जावेद पुत्र जमात अली निवासी नसबंदी कॉलोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को सलाम होटल के सामने थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार जिनकी निशानदेही

से घटना में प्रयुक्त 01 छुरी बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर एक स्वर में बताया कि हमारा मोबाइल को लेकर सोहेब और अरमान के साथ झगडा हो गया था। जिसमें हमनें अरमान के पेट में छुरी मार दी थी अरमान को छुरी मारने के बाद हमने उस छुरी पर लगे खून को अच्छे से धो कर साफ कर दिया था और उसको हमनें डाबर तालाब लकडी की टाल के पास शमशान घाट पर ईंटो के नीचे छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सलमान पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी गिरी मार्केट मन्सा मंदिर के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

2.जावेद पुत्र जमात अली निवासी नसबंदी कॉलोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.08.2025 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 05.08.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त मौनिश पुत्र यासीम निवासी भर्ता फार्म जौनापुर दिल्ली मूल पता मोहल्ला मनीहार थाना इस्लामनगर जिला बदायूँ उम्र करीब 20 वर्ष को निजामुद्दीन दिल्ली के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया तथा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि करीब 6-7 महीने पहले मेरी मुलाकात वादिया की पुत्री से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी और तब से हमारी आपस में बातचीत करने लगे। एक दिन मैं मौका पाकर पीडिता को बहला फुसलाकर उसे दिल्ली ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौनिश पुत्र यासीम निवासी भर्ता फार्म जौनापुर दिल्ली मूल पता मोहल्ला मनीहार थाना इस्लामनगर जिला बदायूँ उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.08.2025 को थाना लोनी पर वादी श्री सतबीर पुत्र स्वर्गीय श्री जयसिंह निवासी ग्राम बादशाहपुर सिरौली थाना लोनी जिला गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.अजब सिंह पुत्र रतिराम 2.फिरे पुत्र खजान 3.मुकेश 4.महेश 5.बब्लू 6.नरेश पुत्रगण मागेराम 7.साहिल 8.अमित पुत्रगण मुकेश 9.चवन पुत्र रतिराम 10.विपिन पुत्र अजब सिंह 11.अन्नू 12.प्रिंस पुत्रगण चवन निवासीगण ग्राम बादशाहपुर सिरौली लोनी गाजियाबाद द्वारा रास्ते में हुए कीचड व गड्ढे में मिट्टी डालने की बात को लेकर एक राय होकर लाठी डन्डे से लैस होकर गाली-गलौच कर मारपीट करना जिससे वादी व वादी के परिजनों को गम्भीर चोट आना तथा महेश पुत्र मांगेराम द्वारा लाइसेन्सी हथियार से जान से मारने की नीयत से फायर करना जिसमें प्रार्थी के बेटे सुमित को गोली लग जाने से गम्भीर रूप से घायल हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 05.08.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.फिरे सिंह पुत्र खजान सिंह निवासी सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 75 वर्ष 2.नरेश पुत्र मांगेराम निवासी सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष 3.चमन सिंह पुत्र रतिराम निवासी सिरौली थाना गाजियाबाद उम्र करीब 56 वर्ष 4. मुकेश पुत्र मांगेराम निवासी सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष को थाना लोनी क्षेत्र के फ्लाई ओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारा सतबीर पुत्र स्वर्गीय श्री जयसिंह के साथ रास्ते में हुये गड्डे व कीचड में मिट्टी डालने के लेकर विवाद हो गया जिस कारण हम लोगो ने गुस्से में एक राय होकर गाली-गलौच करते हुए लाठी डण्डो से वादी पक्ष पर हमला कर दिया था तथा हमारे भाई महेश पुत्र मांगेराम द्वारा लाइसेन्सी बन्दूक से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था जिससे वादी के पुत्र सुमित को गोली लग गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.फिरे सिंह पुत्र खजान सिंह निवासी सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 75 वर्ष

2.नरेश पुत्र मांगेराम निवासी सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष

3.चमन सिंह पुत्र रतिराम निवासी सिरौली थाना गाजियाबाद उम्र करीब 56 वर्ष

4. मुकेश पुत्र मांगेराम निवासी सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम ।